FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0012 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 24/04/2025 17:45 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	109
2	IPC 1860	120-B
3	IPC 1860	201
4	IPC 1860	409
5	IPC 1860	420
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/01/2016 **Date To (दिनांक तक):** 01/01/2018

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:16 hrs **Time To (समय तक):** 00:16 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/04/2025 **Time (समय):** 17:30 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 017 **Date and Time (दिनांक और समय):** 24/04/2025 17:43 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 10 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): PRAHLADPUR,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** SHORAN LAL

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 10/04/1969 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PALWAL, HODAL, PALWAL, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PALWAL, HODAL, PALWAL, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-8930900235

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुशीला भाटी		Father's Name: पुत्री श्री महेश भाटी	1. Prahladpur Majra Deeg,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
2	Jogiunder Singh			1. Gram Sachiv,FARIDABAD,HARYANA,INDIA 2. Gram Sachiv,Block BallabgarhFARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	OTHERS	MISCELLANEOUS	82,46,342/ रुपये का गबन	82,46,342.00

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 82,46,342.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में प्रबन्धक अफसर, थाना भ्रष्चार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। श्रीमान जी, जांच क्रमांक 03 दिनांक 15.07.2020 फरीदाबाद कार्यालय अतिरिक्त, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 61/34/2020-2 चौ0-।। दिनांक 08.07.2020 की अनुपालना में महानिदेशक, भ्रष्चार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला कार्यालय के पत्र पृश्ठांकन 7228/I-2/SVB(H) Dated 15.07.2020 के अनुसार श्रीमती सुशीला भूतपूर्व सरंपच ग्राम पंचायत प्रहलादपुर माजरा डीग, जिला फरीदाबाद व श्री जोगिन्द्र सिंह ग्राम सचिव प्रहलादपुर, ब्लाक बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद के विरूद्ध श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बौहरू व समस्त ग्रामवासी व विकास निवासी गांव प्रहलादपुर माजरा डीग जिला फरीदाबाद की शिकायत पर दर्ज रजिस्ट्रर होकर पडताल हेतु इस मण्डल मे प्राप्त हुई, जिसमे निम्नलिखित आरोपो की जांच पडताल की जानी थी:-

आरोप नं0 1:- आरोप है कि वर्तमान सरंपच ग्राम प्रहलादपुर माजरा डींग तहसील बल्लबगढ जिला फरीदाबाद ने अपने कार्यकाल में ग्राम प्रहलादपुर माजरा डीग में पंचायत द्वारा जो भी विकास कार्य कराये हैं उन सभी कार्यो में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया हैं और जाली व बोगस बिल बनाकर पंचायत के पैसे का गबन किया हैं जिसमें पंचायत पटटे की भूमि पर नाली सही कराने का 2,12,535 रू में कार्य कराया हैं परन्तु उस कार्य में मात्र 35,000 रू की लागत आई हैं।

आरोप नं0 2:- आरोप है कि पंचायत द्वारा आर0सी0सी0 पाईप खरीदे गये हैं जो 3,47,686 रू के बोगस बिल बनाकर खरीद किये गये हैं परन्तु उनकी असल कीमत मात्र 1,00,000 रू हैं।

आरोप नं0 3:- आरोप है कि पंचायत द्वारा पंचायती भूमि में 200 फुट लैन्थ का नया बोर लगाया गया हैं जिस पर पंचायत द्वारा 1,20,597/- रू खर्च किये गये हैं परन्तु असल में उन पर मात्र 70,000 रू लागत आई हैं।

आरोप नं0 4:- आरोप है कि पंचायत द्वारा गांव की नालियों पर लोहे के क्रासिंग जाल लगाये गये हैं जिन पर पंचायत द्वारा 11,36,703 रूपये खर्च किये गये हैं परन्तु असल में उनपर मात्र 5,00,000 रू लागत आई हैं।

आरोप नं0 5:- आरोप है कि पंचायत द्वारा रिकार्ड में गांव के चार कुओं पर लोहे के जाल बनवाकर लगाने दिखाये लगाये गये हैं जिन पर पंचायत द्वारा 2,87,911 रू खर्च करने दिखाये गये हैं परन्तु असल में कोई भी जाल नही लगाया गया उनपर कोई रकम नही लगी हैं ।

आरोप नं0 6:- आरोप है कि पंचायत द्वारा गांव में स्ट्रीट लाईट लगाई गई हैं जिन पर पंचायत द्वारा 12,57,337 रू खर्च किये गये हैं परन्तु असल में उनपर मात्र 3,00,000 रू लागत आई हैं ।

आरोप नं0 7:- आरोप है कि पंचायत द्वारा गांव में झेरे वाली जोहड से आगरा नहर तक कच्ची नाली खुदवाई गई हैं जिन पर पंचायत द्वारा 56,000 रू खर्च किये गये हैं परन्तु असल में उसपर मात्र 5600 रूप्ये लागत आई हैं ।

आरोप नं0 8:- आरोप है कि पंचायत द्वारा गांव के जोहडों की खुदाई व उनकी सफाई कराई गई हैं जिन पर पंचायत द्वारा 8,47,400 रू खर्च किये गये हैं परन्तु असल में उसपर मात्र 2,00,000 रू की लागत आई हैं ।

आरोप नं0 9:- आरोप है कि पंचायत द्वारा मिटटी भरत पर 13,55,206 रू खर्च किये गये हैं परन्तु असल में उसपर मात्र 3,00,000 रू की लागत आई हैं ।

आरोप नं0 10:- आरोप है कि पंचायत द्वारा गावों से कुडा ढूलाई पर 4,58,938 रू खर्च किये गये हैं परन्तु असल में उस पर मात्र 10,000 रू की लागत आई हैं ।

आरोप नं0 11:- आरोप है कि पंचायत द्वारा गावों के विकास कार्य के लिये 28,34,533 रू की एक नम्बर की ईंट खरीद की गई हैं परन्तु असल में मात्र 5,00,000 रूप्ये की ईंट खरीद की गई हैं।

आरोप नं0 12:- आरोप है कि पंचायत द्वारा गावों के विकास कार्य के लिये 16,20,880 रू की मौहरम, सीमेन्ट, रोडी, क्रेषर व रेती खरीद की गई हैं परन्तु असल में मात्र 5,00,000 रू की निर्माण साम्रगी खरीद की गई हैं।

आरोप नं0 13:- आरोप है कि पंचायत द्वारा गावों की गलियों में इन्टरलौकिंग टाईल लगाने के लिये 46,24,095 रू की इन्टरलौकिंग टाईल, सीमेन्ट, रोडी, क्रेषर व रेती खरीद की गई हैं परन्तु असल में मात्र 15,00,000 रू की निर्माण साम्रगी खरीद की गई हैं।

आरोप नं0 14:- आरोप है कि पंचायत द्वारा गांव के बम्बे के पुल पर 4,15,500 रू खर्च किये गये हैं जिनमें 1,50,000 रू की पेमेन्ट कर दी हैं तथा 2,50,000 रू के बिल अधूरे पडे हैं परन्तु असल में उसपर मात्र 15,500 रू की लागत आई हैं ।

आरोप नं0 15:- आरोप है कि पंचायत द्वारा गावों के जोहडों से ओवरफ्लो पानी की निकासी के लिये 4,09,016 रू का

डीजल खरीद करना दिखाया गया हैं परन्तु असल में उसपर मात्र 35,000 रू की लागत आई हैं ।

आरोप नं0 16:- आरोप है कि पंचायत द्वारा गावों की नालियों की रिपेयरिंग पर 5,91,371 रू खर्च करना दिखाया गया हैं परन्तु असल में उसपर मात्र 2,00,000 रू की लागत आई हैं ।

आरोप नं0 17:- आरोप है कि पंचायत द्वारा रिकार्ड में 21 घण्टे जे0सी0बी0 चलनी दर्शाई गई हैं जिसपर 14,700 रू खर्च करने दिखाये गये हैं जिसका यही नही पता कि कहां पर चली हैं, असल में कही पर भी जे0सी0बी नही चली हैं ।

पडताल के दौरान प्राप्त किये गये कथनो व प्रलेखो के अवलोकन से पाया गया कि आरोप न0 1 मे श्रीमती सुशीला भाटी तत्कालीन सरपंच ने पंचायत की पट्टे वाली भूमि की सिचाई के लिए नाली की मरम्मत (प्लास्टर) करवाने मे 1,12,102/- रुपये का गबन किया जाना पाया गया है। आरोप न0 2 मे पाया गया कि श्रीमती सुशीला भाटी तत्कालीन सरपंच द्वारा केवल एक पाईप उक्त बिल मे खरीदा गया था और 4 पाईपो का फर्जी बिल बनवाकर K.K. Concrete Product का Invoice No. – dated 03.04.2017, Voucher No. 74 में RCC Pipe 1800 MM के 3 पाइप के 54000 रु व CST/VAT@ 2835 रुपये जो 56835 रु पंचायत की राशी का गबन किया जाना पाया गया है। आरोप न0 4 व 5 की पडताल मे पाया गया कि श्रीमती सुशीला भाटी तत्कालीन सरपंच ने नालियो व 4 कुओ पर लोहे के क्रासिंग जाल डलवाने मे 11,17,949 रुपये का गबन किया जाना पाया गया है। आरोप न0 6 की पडताल मे पाया गया कि श्रीमती सुशीला भाटी तत्कालीन सरपंच द्वारा वर्श 2016 मे ग्राम पंचायत प्रहलादपुर माजरा डीग के खाता से स्ट्रीट लाईटो से सम्बन्धित 12,57,337/- रुपये के बिल तैयार करवाकर एस०डी०ओ० (इलैक्ट्रिकल) व जेई (इलैक्ट्रिकल) से सत्यापन नही करवाकर अदायगी की जानी पाई है जबकि मौका पर केवल 137 स्ट्रीट लाईटे 2073 रुपये प्रति के अनुसार 2,79,069/- रुपये होती है जिससे स्पश्ट है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा स्ट्रीट लाईटे खरीद मे 12,57,337-2,79,069 9,78,268/- रुपये का गबन किया जाना पाया गया है। आरोप न0 10 मे पाया गया कि वर्श 2016-17 मे गांव मे कूडा कर्कट ढूलाई से सम्बन्धित कुल 4,95,108/- रुपये की अदायगी योगेष ट्रेडर्स बस स्टैण्ड फतेहपुर बिल्लौच तहसील बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद को की जानी पाई गई है जो पंचो/मैम्बरो व मौजिज व्यक्तियो के कथन तथा गांव मे कूडा उठाने वाले दो सरकारी कर्मचारी लगे होने के कारण व बिलो मे कूडा कर्कट ढूलाई के काफी चक्कर दर्षाकर झूठे बिल तैयार करवाकर 4,95,108/- रुपये का गबन किया जाना पाया गया है। आरोप न0 11 की पडताल मे पाया गया कि वर्श 2016-17 मे गांव मे विकास कार्य कराने के लिए एक नम्बर की ईंटे कार्यालय उपमण्डल अधिकारी भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, फरीदाबाद की अस्समैन्ट रिपोर्ट व एम0बी0 के अनुसार 218850 ईंटे गांव के विकास कार्या मे लगानी पाई गई है। 218850 ईंटे लगभग 5 रुपये प्रति ईंट के अनुसार 10,94,250/- रुपये की होती है। जबकि बिलो व कैष बुक के अनुसार 580936 ईंटे 28,47,735/- रुपये मे खरीदनी पाई गई। उपरोक्त सभी बिलो की अदायगी कैष बुक मे इन्द्राज किया जाना पाया गया है। तत्कालीन सरपंच श्रीमती सुषीला भाटी ग्राम पंचायत प्रहलादपुर माजरा डीग द्वारा 580936-218850 त्र 362086 ईंटे 28,47,735-10,94,250 त्र 17,53,485/- रुपये का कोई भी संतोशजनक जवाब नही दिया है। जिससे स्पश्ट है कि प्रतिवादिया तत्कालीन सरपंच श्रीमती सुषीला भाटी ग्राम पंचायत प्रहलादपुर माजरा डीग ने उपरोक्त फर्मो के साथ मिली भगत करके ईंटो के झूठे बिल बनवाकर 17,53,485/- रुपये का गबन किया जाना पाया गया है। आरोप न0 12 मे पाया गया कि वर्श 2016-18 मे तत्कालीन सरपंच श्रीमती सुषीला भाटी ग्राम पंचायत प्रहलादपुर माजरा डीग ने सम्बन्धित फर्मो के साथ मिली भगत करके सीमेन्ट, क्रेसर, रोडी, रोडा, यमुना रेती तथा मोरम के झूठे बिल बनवाकर 14,70,604/- रुपये का गबन किया जाना पाया गया है। आरोप न0 13 मे पाया गया कि वर्श 2016-18 मे तत्कालीन सरपंच श्रीमती सुषीला भाटी ग्राम पंचायत प्रहलादपुर माजरा डीग ने सम्बन्धित फर्मो के साथ मिलीभगत करके IPB की इंटरलाकिंग टाईलो के झूठे बिल बनवाकर 22,61,991/- रुपये का गबन किया जाना पाया गया है। जो प्रतिवादिया श्रीमती सुशीला भाटी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत प्रहलादपुर माजरा डीग, जिला फरीदाबाद द्वारा 82,46,342/- रुपये का गबन किया जाना पाया गया है। जिस बारे मे श्रीमती सुषीला भाटी तत्कालीन सरपंच उपरोक्त द्वारा कई बार थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद बुलाया गया परन्तु कोई संतोशजनक जवाब नही दिया तथा समय लेकर अपने हस्ताक्षर करके चली जाती थी।

जांच की पडताल के दौरान आरोप न0 3 बोर लगाने से सम्बन्धित है व आरोप न0 7 नाली की खुदाई से सम्बन्धित उपरोक्त दोनो आरोप सिद्ध होना नही पाये गये है तथा आरोप न0 8 जोहड खुदाई, आरोप न0 9 व 14 मिट्टी भर्त, आरोप न0 15 जोहडो का ओवरफलो पानी बाहर निकालने तथा आरोप न0 16 व 17 JCB चलाने से सम्बन्धित है जिनके गबन बारे पता नही लगाया जा सकता।

दौराने पडताल पाया गया कि कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बल्लभगढ जिला फरीदाबाद को

एक शिकायत प्रतिवादिया श्रीमती सुशीला तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत प्रहलादपुर मांजरा डीग, तहसील बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद के विरुद्ध वर्ष 2016 से 2018 तक कराये गये विकास कार्यो मे गबन बारे प्राप्त हुई थी। जिसकी तस्दीक उप मण्डल अधिकारी (प0 राज) बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद द्वारा की गई। जांच के दौरान प्रतिवादिया श्रीमती सुशीला भाटी तत्कालीन सरपंच ग्राम प्रहलादपुर मांजरा डीग, तहसील बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद से वर्ष 2016 से 2018 तक गांव मे कराये गये विकास कार्यो से सम्बन्धित रिकार्ड मांगा गया था। जो प्रतिवादी श्रीमती सुशीला भाटी उपरोक्त ने रिकार्ड पेश ना करके जानबुझकर असल रिकार्ड गुम करके थाना सदर बल्लभगढ मे रिकार्ड गुम होने बारे गुमशुदगी रिपोर्ट अंकित कराई हुई है।

प्रतिवादिया श्रीमती सुशीला भाटी तत्कालीन सरपंच ग्राम प्रहलादपुर माजरा डीग, तहसील बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद व श्री जोगिन्द्र सिंह ग्राम सचिव प्रहलादपुर, ब्लॉक बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद ने आपस मे मिलीभगत करके वर्ष 2016 से 2018 तक गांव मे विकास कार्य कराने के नाम पर 1,21,46,667/- रुपये के बिल बनवाये है जबकि शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गये बिलो, कैश बुक, एम0 बी0 व कार्यालय BDPO बल्लभगढ की रिपोर्ट के अनुसार 35,66,553/- रुपये का कार्य प्रतिवादिया द्वारा कराकर 82,46,342/- रुपये का गबन किया जाना पाया गया था। अतः श्रीमती सुशिला भाटी पुत्री श्री महेश भाटी तत्कालीन सरपंच ग्राम प्रहलादपुर माजरा डीग, तहसील बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद व श्री जोगिन्द्र सिंह ग्राम सचिव प्रहलादपुर, ब्लॉक बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद के विरुद्ध धारा 409, 420, 109, 201, 120बी भा0द0स0 व 13(1)(c) पी0सी0 एक्ट के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया था।

जिस पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेषक, भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो(ह0) पंचकुला कार्यालय के गोपनीय पत्र क्रमांक 4514/I-2/ACB(H) Dated 13.03.2025 के अनुसार आरोपियान उपरोक्त के विरूद्ध कार्यालय आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद से आरोपीयान के विरूद्ध धारा 17ए पी0सी0 एक्ट की अनुमति लेने के पश्चात् धारा 409, 420, 109, 201, 120बी भा0द0स0 व 13(1)(c) पी0सी0 एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुये हैं। कार्यालय आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद के पत्र क्रमांक पी0ए0/2025/2405 दिनांक 07.04.2025 के अनुसार आरोपियान श्रीमती सुशीला भाटी तत्कालीन सरपंच व श्री जोगिन्द्र सिंह तत्कालीन ग्राम सचिव के विरुद्ध धारा 17ए पी0सी0 एक्ट की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

अतः श्रीमती सुशीला भाटी पुत्री श्री महेश भाटी तत्कालीन सरपंच ग्राम प्रहलादपुर माजरा डीग, तहशील बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद व श्री जोगिन्द्र सिंह ग्राम सचिव प्रहलादपुर ब्लाक बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद के विरुद्ध धारा 409, 420, 109, 201, 120बी भा0द0स0 व 13(1)(c) पी0 सी0 एक्ट के तहत अभियोग अंकित किया जावे तथा विशयांकित आरोपो बारे अन्य किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी या किसी प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्पता पाई जाती है तो उसे भी अभियोग की तफतीश के दौरान देख लिया जावे। अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर को ई0एच0सी0 देवेन्द्र कुमार न0 656/पलवल के माध्यम से थाना भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके नम्बर से सूचित किया जाये तथा स्पेशल रिपोर्ट डियुटी मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों के पास नियमानुसार भिजवाई जाये। अभियोग के अनुसन्धान के लिये अन्य अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जाये। जांच के दौरान प्राप्त किया गया सम्बन्धित रिकार्ड साथ सलंग्न है। निरीक्षक सोरन लाल, थाना भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। दिनांक 24.04.2025. अज थाना: हस्ब आमद तहरीर थाना पर प्राप्त होने पर मुकदमा न० 12 दिनांक 24.04.2025 धारा 409, 420, 109, 201, 120बी भा0द0स0 व 13(1)(c) पी0 सी0 एक्ट थाना ACB/FBD दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हज़ा की स्पेशल रिपोर्ट EHC देवेन्द्र 656/PWL के इलाका मजिस्ट्रेट साहब व उच्च अधिकारियो को भेजी जा रही है यह मुकदमा Insp बीजेन्द्र की हाजिरी में दर्ज किया जा रहा है व इस मुक़दमे का असल अनुसन्धान अधिकारी श्री दीपक कुमार, HPS DSP/PS/ACB/FBD है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Deepak **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): PI **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Sant Ram

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 1030FBD

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Female	1995				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	1965				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)